रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277695
CG-DL-E-05112026-277695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5786] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 5786] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

का.आ. 6018(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध्) अधिनियम, 1994 की धारा 8के साथ पठित धारा 7द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 85 (अ), दिनांक 5फरवरी, 1997में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

2. उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत, क्रम संख्या 19, 20, 21 and 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

19	राज्य उपयुक्त प्राधिकरण अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, केरल सरकार	सदस्य
20	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन. एच. एम.) लक्षद्वीप सरकार	सदस्य
21	प्रमुख सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
22	आयुक्त/सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू), लद्दाख सरकार	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (व्यवसाय लेनदेन) विनियमन 1999 के विनियमन 5 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध्) अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) के संदर्भ में, निम्नलिखित अगले आदेश तक केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगेः

32	सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू) , महाराष्ट्र सरकार
33	सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू), बिहार सरकार
34	सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू), दिल्ली सरकार
35	सचिव (एम. एच. एंड एम. ई.), उत्तराखंड सरकार

[फा. सं. वी.11011/03/2023-पीएनडीटी]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का. आ. 85 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी और संख्या का. आ 160 (अ) दिनांक 28 फ़रवरी, 1998 के तहत संशोधित की गई और संख्या का. आ 694 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998, का. आ 61 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; एसओ 114 (ई) दिनांक 1 फ़रवरी, 2000; का. आ 349 (अ) दिनांक 20 अप्रैल , 2001; का. आ 931 (अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001; का. आ 590 (अ) दिनांक 31 मई, 2002; का. आ 1191 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2002; का. आ 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003 के तहत आगे संशोधित की गई; का. आ 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का. आ 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का. आ 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का. आ 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004; का. आ 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का. आ 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का. आ 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का. आ 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008; का. आ 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का. आ 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त , 2009; का. आ 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल , 2011; का. आ 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का. आ 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; का. आ 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012; का. आ 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012; का. आ 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012; का. आ 1351(अ) दिनांक 21 मई , 2013; का. आ 306(अ) दिनांक 31 जनवरी , 2014; का. आ 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का. आ 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014; का. आ 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015; का. आ 2458(अ) दिनांक 4 सितम्बर, 2015; का. आ 3097(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2015; का. आ 4111(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016; का. आ 132(अ) दिनांक 10 जनवरी , 2018; का. आ 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 1794(अ) दिनांक 2 मई 2018; का. आ 143(अ) दिनांक 9 जनवरी 2019; का. आ 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; तथा का. आ 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का. आ 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का. आ 3636 (अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019, का. आ 4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020, का. आ 4354(अ) दिनांक 14 सितंबर 2022, का. आ 2937(अ) दिनांक 15 जुलाई 2024 का. आ 4841(अ) दिनांक 22 अक्टूबर 2025, का. आ 5449 (अ) दिनांक 27 नवंबर, 2025 और का. आ 1987(अ) दिनांक 21 अप्रैल 2026.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health And Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

S.O. 6018(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under the heading "Appointed under clause (g) of sub-section (2) of section 7", for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto the following shall be substituted , namely: -

19	State Appropriate Authority -cum- Additional Director (Family Welfare), Directorate of Health Services, Government of Keralam	Member
20	Mission Director, National Health Mission(NHM), Lakshdweep	Member
21	Principal Secretary(H&FW), Government of Madhya Pradesh	Member
22	Commissioner/Secretary(H&FW),Government of Ladakh	Member

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

3. In terms of Section 11(1) of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, read with Regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulation 1999, the following shall be Special Invitee in the Central Supervisory Board till further orders:

32	Secretary (H&FW), Government of Maharashtra
33	Secretary (H&FW), Government of Bihar
34	Secretary (H&FW), Government.of NCT of Delhi
35	Secretary (MH& ME), Government of Uttarakhand

[F. No. V.11011/03/2023-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, vide no. S.O.85 (E), dated 5th February, 1997 and amended vide No. S.O.160 (E) dated 28th February, 1998 and further amended vide Nos. S.O. 694(E) dated 13th August, 1998, S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O.114(E)dated 1st February, 2000; S.O.349(E) dated 20th April, 2001; S.O.931(E) dated 19th September, 2001; S.O.590(E) dated 31st May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12th November, 2002; S.O.703(E) dated 18th June, 2003; S.O.1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O.99(E) dated 20th January, 2004; S.O.367(E) dated 17th March, 2004; S.O.937(E) dated 19th August, 2004; S.O.1008(E) dated 16th September, 2004; S.O.56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10thFebruary, 2006; S.O.200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O.1506(E) dated 20th June, 2008; S.O.130(E) dated 6th January, 2009; S.O.2143(E) dated 20th August, 2009; S.O.779(E) dated 28th April, 2011; S.O.85(E) dated 11th January, 2012; S.O.1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O. 43(E) dated 31st December, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4th September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9th November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22nd December, 2016; S.O. 132(E) dated 10th January, 2018;S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2nd May 2018; S.O. 143(E) dated 9th January 2019; S.O. 1934(E) dated 10th June 2019; andS.O. 2779(E) dated 2nd August 2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10th October 2019, S.O.4123(E) dated 17th November 2020, S.O.4354(E) dated 14th September 2022, S.O. 2937(E) dated 15th July, 2024, S.O 4841(E) dated 24th October 2025, S.O 5449 (E) dated 27th November 2025 and S.O. 1987(E) dated 21st April, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.05 16:25:53 +05'30'